कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत
Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679
E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1752/36सी.

सेवा में,

दिनांक रानीखेत 08/08,2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में सौनी देवलीखेत ड्यौड़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या–20119/2016)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/162/2016/एफ.सी. दिनांक 19.06.2024 प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्र संख्या–2635/12–1 दिनांक 27.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा 06 बिन्दुओं में आपत्ति लगायी गयी है, जिनका बिन्दुवार निराकरण कर ऑन लाईन अपलोड कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	NPV amount does not appear to be deposited as per new rate. It is requested to deposit the balance amount of NPV as per the current/new rates.	लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गयी है नये दरों में एन0पी0वी0 जमा करने का डिमाण्ड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। डिमाण्ड नोट प्राप्त होने के उपरान्त एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जाएगी।
2.	The State Forest Department shall notify the CA area as Reserve Forest/Protected Forest underr IFA, 1927 and same shall shall be submitted.	उक्त बिन्दु पर आपके स्तर से कार्यवाही की जानी है।
3.	KML files of CA and proposed diversion area shall be uploaded on E-green watch portal.	उक्त बिन्दु पर आपके स्तर से कार्यवाही की जानी है।
4.	As the Stage-I approval was granted on dated 19.07.2027, therefore, the current status of road construction is required to be submitted.	मोटर मार्ग की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस स्वीकृति के अन्तर्गत विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का मोटर मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।
5.	As the Stage-I approval was granted on dated 19.07.2017, therefore, the status of CA area plantation is required to be submitted.	उक्त बिन्दु पर आपके स्तर से कार्यवाही की जानी है।
6.	If the CA area plantation has not been carried out then a revised CA scheme as per current wage rate is required to be submitted.	पूर्व में वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रेषित मांग के अनुसार विभाग द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है। पुनरीक्षित आगणन आपके रैन्ज कार्यालय में गठित संशोधित मांग से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।

Ankan 08.08.24

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 1752/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ankan 08.08.24

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

JET, upload in MIS.
Ankan

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1251 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 09 /09/ .2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

विषय – जनपद अल्मोड़ा में सौनी देवलीखेत ड्यौड़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/20119/2016)

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/162/2016/एफ0सी0/370 दिनांक 19.06.2024।

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि नयी दरों पर जमा की जानी है। भारत सरकार से जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार हैं–

1.	ईको–क्लास श्रेणी	=	Vth
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.3 (30%)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	10,05,210.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	2.205
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	22,16,488.00
6.	पूर्व में जमा एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	14,48,685.00
7.	अतिरिक्त जमा की जाने वाली धनराशि (रूपये)	=	7,67,803.00

कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रूपये में) 7,67,803.00 (सात लाख सड़सठ हजार आठ सौ तीन रूपये) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 1251 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-09-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6120119335
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/162/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division P.W.D., RanikhetAlmora
Amount(in Rs)	767803/-

Amount in Words :Seven Lakh Sixty-Seven Thousand Eight Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896120119335 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-09-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6120119335
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/162/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division P.W.D., Ranikhet Almora
Amount(in Rs)	767803/-

Amount in Words :Seven Lakh Sixty-Seven Thousand Eight Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896120119335 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Scanned with OKEN Scanner

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

295 ०/८

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 3989 / 38सी दिनांक रानीखेत 13/10 ,2023.

०/८

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में सौनी देवलीखेत ड्यौड़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10 से पस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 हैक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक–08बी./यू.सी.पी./06/182/2016/एफ.सी./627 दिनांक 19.07.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है, जिनकी अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्न है

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम असगोली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 हैक्टेयर ग्राम असगोली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो का रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 1117194.00 लाख जमा कर दी गयी है तथा 4.41 हैक्टेयर असगोली सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दी गयी है, जिसकी खतौनी मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण (विभाग द्वारा) भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2000 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की धनराशि ₹ 1448685.00 लाख जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान दर से एन.पी.वी. में बढोतरी हुई तो बढी हुई दरों से एन.पी.वी. जमा कर दी जायेगी। इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. के तहत दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि तथा अन्य निधियॉ तथा क्षतिपूरक की कुल धनराशि रू 2565879.00 लाख (CAMPA) के खाते में Online Portal के माध्यम से चालान Generate कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्रमशः पेज–2 पर

Scanned with OKEN Scanner

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित की जानी है।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहॉं–जहॉं सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा (Central Verge) विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में (Strp Plantation) की जायेगी। इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 5 प्रतियों में।

(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक 3989/38 सी तद्दिनांकित

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

Scanned with OKEN Scanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 162 / 2016 / एफ0सी0 / 627 दिनांक: 19 / 07 / 2017

सेवा में,

मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – अल्मोड़ा में सौनी–देवलीखेत–ड्योडखाल–सिलोर –महादेव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से पस्तौड़वार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 821 / X-4-16/1(245)/2016 दिनांक 12.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/20119/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–अल्मोड़ा में सौनी–देवलीखेत–ड्योडखाल–सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से पस्तौडवार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है0 ग्राम– असगोली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर वढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में सौनी देवलीखेत दुर्योड़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10.00 से परतौड़ाधार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों मे बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Ameen Pramar Patra/Arvind

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद अल्मोड़ा में सौनी देवलीखेत ड्योढ़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी. 10.00 से परसौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 30-08-2023 को जनपद अल्मोड़ा में शौनी देवलीखेत उमौडारखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि.मी. 10.00 से परसौड़ाखाल मोटर मार्ग हेतु सीमांकन क्षतिपूरक वृक्षारोपण बावत ग्राम असगोली पटवारी क्षेत्र - असगोली तहसील द्वाराहाट में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के कार्यालय पत्रांक संख्या 896/12-1(2) दिनांक 18-08-2023 के अनुपालन में वन विभाग राजस्व विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ ग्राम असगोली के पूर्व में चयनित खसरा नम्बरों का सीमांकन कर पक्के लोहे के एंगिल भूमि में लगाये गये।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का सीमांकन आख्या सादर में प्रेषित है।

अमीन

पुष्कर आर्या
प्रा. ख. लो. नि. वि.
रानीखेत

मन मोहन तिवाड़ी
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट

रा0उ0नि0
कूना/असगोली

उमेश लाल साह
अपर सहायक अभियन्ता
प्रा. ख. लो. नि. वि.
रानीखेत

प्रा0ख0लो0नि0वि0
रानीखेत

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

Scanned with OKEN Scanner

(2)

फाईल न० ...3611......2019

आदेश

दिनांक 21/05/19

जनपद अल्मोड़ा मे तहसील द्वाराहाट के अन्तर्गत सौनी–देवलीखेत–ड्यौड़ाखाल–सिलोर–महादेव मोटर मार्ग के 10 कि0मी0 से परतौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.205 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल–4.410 हैक्टयर सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित /नामान्तरित किये जाने के संबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन मे उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे उपजिलाधिकारी द्वाराहाट के पत्रांक 114/दिनांक 15.02.2019 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के पत्रांक 571/36 सी. दिनांक 23.02.2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत: अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 11.08.2017 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा उप जिलाधिकारी द्वाराहाट की संस्तुति सहित आख्या सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू0 फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/162/2016/एफ.सी./627, दिनांक 19.07.2017 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–असगोली, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–असगोली, तहसील–द्वाराहाट के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या–156 की श्रेणी–9(3)ड "बंजर काबिल आबाद" भूमि के पैमायसी खेत नम्बर–1257 का रकबा 0.768, खेत नम्बर 1333 का रकबा 1.374 खेत नम्बर–400 का रकबा 0.668, खेत नम्बर 450 का रकबा 1.293, खेत नम्बर 454 मध्ये 0.307 अर्थात पॉच खेत नम्बरों की कुल 4.410 हैक्टयर सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1745
15/04/19

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या–2808 /ग्यारह–15 /2018–19, दिनांक: 06-05 ~~फरवरी~~, 2019

प्रतिलिपि:निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

3– उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा।

4– अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।

5– तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा।

उद्धरण खतौनी मौजा- असगोली

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र- असगोली   तहसील द्वाराहाट   जिला—अल्मोड़ा

खाता सं0	खातेदार का नाम	भौतिक अधिकार का वर्ष	गाटा सं0	रकवा (है0)	लगान	विवरण
1	2	3	4	5	6	7—12
156.	बंजर काबिल आबाद	1374	4	0·004		जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 2802/[illegible] 15/2018-19 दिनांक 06-05-2019 के क्रम में खाता सं० 156 के खेत नं० 1257 रकबा 0·768 है०, खेत नं० 1333 रकबा 1·374 है० खेत नं० 4[illegible] रकबा 0·668 है०, खेत नं० 450 रकबा 1·293 है०, खेत नं० 454 रकबा 0·307 है० कुल रकबा 4·410 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नामान्तरित की।
			5	0·292		
			11	0·026		
			क्रमशः	क्रमशः		
			387	1·024		ह० रा० उ० नि०
			400	0·680		असगोली
			425	0·026		दि. 11/07/2019
			क्रमशः	क्रमशः		
			450	1·293		
			454	0·375		
		रे०	461	0·025		
			क्रमशः	क्रमशः		
			1255	0·006		
			1257	0·768		
			1264	0·004		
			1267	0·029		
			1276	0·010		
			1283	0·076		
			1333	1·374		
			1342	0·015		
			क्रमशः	क्रमशः		
			1035/19082	0·249		
			3957/19083	0·025		
			18549/19087	0·050		
	योग		1949	156.256		

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

महोदय,
असल से नकल तैयार किया।

18/11/20

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र असगोली

Scanned with OKEN Scanner

G2 2.04

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

G2

पत्रांक– 1308 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: 06 जनवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में सौनी देवलीखेत ड्यौड़ाखाल सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से परस्तौड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/20119/2016)

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/182/2016/एफ0सी0/627 दिनांक 19.07.2017।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1421/12–1(2) दिनांक 01.12.2023 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के वदले 4.41 है0 ग्राम असगोली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के वाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के वदले 4.41 है0 ग्राम असगोली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो का रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1117194.00 लाख जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–01) तथा 4.41 है0 असगोली सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दी गयी है, जिसकी खतौनी प्रस्तावक विभाग द्वारा मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।(संलग्नक–02)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण (विभाग द्वारा) भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2000 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की धनराशि रू0 1448685.00 लाख जमा कर दी गयी है।(संलग्नक–01 के अनुसार)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर वढोतरी होती है तो वढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनवद्धता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शुद्ध वर्तमान दर से एन.पी.वी. में वढोतरी हुई तो वढी हुई दरों से एन.पी.वी. जमा कर दी जायेगी। इस आशय का वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।(संलग्नक–03)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. के तहत दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि तथा अन्य निधियों तथा क्षतिपूरक की कुल धनराशि रू 2565879.00 लाख (CAMPA) के खाते में Online Portal के माध्यम से चालान Generate कर दी गयी,

Scanned with OKEN Scanner

	खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–01 के अनुसार)
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित की जानी है।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा (Central Verge) विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में (Strp Plantation) की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–04)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 1308 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9C